प्रेस नोट

2,10,000 रु. मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के एक अभियुक्त यूपी एटीएस की वाराणसी फील्ड यूनिट द्वारा गिरफ्तार

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2019

आज दिनांक 20.10.19 को 2,10,000 रु. मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा के साथ एटीएस की वाराणसी फील्ड यूनिट ने एक अभियुक्त को पुणे जाते समय वाराणसी के सुब्रतो चौक, थाना- कैंट क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया ।गिरफ्तार अभियुक्त दीपक साहनी पुत्र विश्वनाथ साहनी, निवासी-वार्ड-दुदही, हर सीधी, पूर्वी चम्पारण, बिहार, 3 माह पुर्व ही जेल से छूटा है।

उ.प्र. एटीएस को कई दिनो कि भारतीय जाली मुद्रा के परिवहन से सम्बंधित से सूचना मिल रही थी। इस सूचना को एटीएस की वाराणसी फील्ड यूनिट द्वारा विकसित करने पर ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियुक्त दीपक आज वाराणसी में मौजूद है और पुणे, महाराष्ट्र जाने वाला है। वाराणसी फील्ड यूनिट ने दीपक को भारतीय जाली मुद्रा के गिरफ्तार कर लिया।

घटना के सम्बन्ध में मु.अ.सं. –1359/19 अंतर्गत धारा-489b/489c आई.पी.सी. थाना-कैंट, जनपद-वाराणसी पर दर्ज किया गया है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

दीपक साहनी पुत्र विश्वनाथ साहनी, निवासी-वार्ड-दुदही, हर सीधी, पूर्वी चम्पारण, बिहार

<u>बरामदगी</u>

1. 2,10,000 मूल्य की भारतीय जाली मुद्रा
2. 1 अदद आधार कार्ड

<u>प्रारंभिक पूछताछ विवरण :</u>

- यह इससे पूर्व भी 3 बार भारतीय जाली मुद्रा ले जाने के आरोप में जेल जा चुका है।
- यह हिमांचल प्रदेश, जालंधर पंजाब व बेतिया बिहार से जेल गया है।
- अभियुक्त दीपक 3 माह पूर्व ही बेतिया जेल से छूटा है।
- यह पश्चिम बंगाल के मालदा से जाली मुद्रा लाकर भारत के उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भेजता है।

<u>अग्रिम पूछताछ के बिंदु</u>

- मालदा में इसके स्त्रोत क्या है जहाँ से यह पैसा लाता है ?
- दीपक FICN को उत्तरप्रदेश अथवा उ.प्र. के बाहर कहाँ-कहाँ सप्लाई करता है ?
- क्या उत्तर प्रदेश में भी इसके FICN से सम्बन्धित कोई स्त्रोत हैं ?